अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगा

बिदामी आदि **बनाम** सुरेन्द्र कुमार आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 55 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/183

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23.08.2024

अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई, बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अर्ज किया कि चक 21 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 133 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 4/2 की 0.165 हैक्टेयर, किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक सालम-सालम की कुल 1.430 हैक्टेयर भूमि का ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादगत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा मुझ अप्रार्थी व प्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 05.06.2024 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। पुनः उसी भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर